न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 07 / 2019

1 मानसिंह पुत्र बुद्वासिंह जाति जाट निवासी पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर

असल अप्रार्थी

2 बच्चू सिंह पुत्र बुद्वासिंह जाति जाट निवासी पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत नायब तहसीलदार कुम्हेर बाबूलाल शर्मा बाबत मुकदमा सरकार बनाम मानसिंह

निर्णय दिनांक 13.03.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ नायब तहसीलदार कुम्हेर बाबूलाल शर्मा के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक प्रार्थना पत्र 91 एलआर एक्ट न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर में विचाराधीन है । नायब तहसीलदार कुम्हेर के व्यवहार से एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र 91 को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा नायब तहसीलदार कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक 91 प्रार्थना पत्र एलआर एक्ट नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सरकार पैरवकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि एक प्रार्थना पत्र 91 एलआर एक्ट न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर में विचाराधीन है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र 91 को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को निर्णय नहीं होने देना चाहते है । प्रार्थना पत्र 91 को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है। योग्य अभिभाषक ने नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं हुआ। सरकार पेरवकार ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर प्रार्थना पत्र को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन प्रार्थना पत्र 91 को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार कुम्हेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official